राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक एफ.7(2)(9)सांख्यिकी/निर्वा/2015/ 4717 जयपुर दिनांक 11-12-2015

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय :– मतदाता सूचियों में से मृत व्यक्तियों के नाम विलोपित करने बाबत।

संदर्भ :– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र कमांक No. 23/2012-ERS(Vol.III) dated 20 September 2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर यह निर्देश जारी किये जाते रहे है कि सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मृत व्यक्तियों के नाम चिन्हित कर उनकी प्रविष्टि मतदाता सूचियों में से हटाने की कार्यवाही करेगे जिससे मृत हो गये व्यक्तियों की प्रविष्टि का मतदाता सूची में से दुरूपयोग होने से बचा जा सके। आयोग ने इस क्रम में यह भी निर्देशित किया है कि इस सम्बन्ध में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क कर यह सुनिश्चत करेंगे कि उनकी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में से मृत व्यक्तियों/मतदाताओं का नाम विलोपित हुये अथवा नही।

यद्यपि आयोग के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में राज्य के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त दिशा–निर्देश जारी किये गये थे परन्तु कार्य की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अब तक उक्त सूचना ऑनलाईन उपलब्ध नही होने के कारण अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई है।

विभाग की जानकारी में यह आया है कि वर्तमान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को पूर्ण रूप से ऑनलाईन कर दिया गया है। निदेशालय ने इस कार्य के लिये एक ऑन लाईन बेवपोर्टल **"पहचान"** विकसित कर प्रारम्भ किया है जिसमें राज्य के सभी 11000 से अधिक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में हुये जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के कार्य को **"पहचान"** पोर्टल पर ऑनलाईन अपडेट कर रहे है।

निर्वाचन विभाग ने उक्त पोर्टल का अवलोकन करने पर यह पाया कि यदि मृत व्यक्तियों की क्षेत्रवार मासिक सूचना राज्य के सभी 200–निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को ऑनलाइन उपलब्ध हो जाने से केवल उन्हें अपनी विधानसभा क्षेत्र में समय समय पर मृत हुये व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके नाम निहित प्रक्रिया अनुसार मतदाता सूचियों में से विलोपित करने में सुविधा होगी अपितु आयोग के दिशा–निर्देशानुसार इससे मतदाता सूचियों के शुद्विकरण के कार्य को भी अधिक दक्षता से आगे बढाया जाना सम्भव हो सकेगा।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही उक्त ऑनलाईन सुविधा को निर्वाचन विभाग के हित में उपयोग में लेने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि **''पहचान''** पोर्टल का लिंक निर्वाचन विभाग की बेवसाइट (ceorajasthan.nic.in) पर उपलब्ध करा दिया जाये तथा साथ ही उक्त पोर्टल से वांछित सूचना प्राप्त करने के लिये निर्वाचन विभाग को पृथक से यूजर नेम एवं पासवर्ड आवंटित कर दिये जावें।

इस के क्रम में निर्वाचन विभाग ने अपनी बेवसाइट (ceorajasthan.nic.in) पर **''पहचान''** पोर्टल का लिंक उपलब्ध करा दिया है तथा निर्वाचन विभाग के लिये इसका यूजर नेम **ceoraj** एवं पासवर्ड **Ceo$2015** है। **सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त यूजर नेम एवं पासवर्ड की सहायता से अपने अपने क्षेत्र के मृत व्यक्तियों की सूचना हर माह निकाल कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज है अथवा नही। यदि उक्त व्यक्तियों के नाम सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज पाये जाते है तो सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुये ऐसे चिन्हित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में से विलोपित करने की कार्यवाही करेंगे। नाम विलोपन की कार्यवाही न केवल मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान के दौरान की जानी है अपितु यह कार्यवाही मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन की कार्यवाही के अन्तर्गत वर्ष पर्यन्त मासिक आधार पर की जानी है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो का पुनः ध्यान आकर्षित किया जाता है कि मतदाता सूची में से मतदाता का नाम विलोपित करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में दिये गये नियमों की पालना सुनिश्चित करेगें।**

सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले से सम्बन्धित उक्त कार्य की मासिक सूचना निम्न प्रारूप में प्रत्येक माह की 10 तारीख को इस विभाग को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे :–